E-mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

सं0 सं0 : 03 / भू0अ0नि0 (3) संविदा SSA (फर्जी)– 16 / 2026 (खण्ड–I)...2370...... **पटना, दिनांक :**...15/07/2026

आदेश

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय का पत्रांक– 12433 दिनांक 12.06.2024 एवं पत्रांक– 12634 दिनांक 29.06.2024 के आलोक में श्री रवि शंकर कुमार (Emp. ID- AEN13148) का नियोजन संविदा आधारित विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर करते हुए बन्दोबस्त कार्यालय, गोपालगंज में पदस्थापित किया गया।

नियोजन के समय श्री कुमार द्वारा समर्पित डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता के सत्यापन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक– 348 दिनांक 02.02.2026 द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय यथा Sardar Patel University, Balaghat (M.P.) को पत्र प्रेषित किया गया था।

उक्त विश्वविद्यालय के Deputy Registrar (Exam), Sardar Patel University, Balaghat (M.P.) ने अपने Ref. No:- SPU/EXAM/FEB/2026/05 दिनांक 20.02.2026 द्वारा ई–मेल के माध्यम से सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया है, जिसमें श्री रवि शंकर कुमार के Verified Status में Not Verified अंकित किया गया है।

एतद् संबंधी सत्यापन सूचना प्राप्त होने के उपरांत निदेशालय पत्रांक– 1852 दिनांक 04.06.2026 द्वारा श्री कुमार को एकपक्ष में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। तथापि, निर्धारित अवधि के उपरांत भी उनके द्वारा कोई स्पष्टीकरण अथवा प्रत्युत्तर समर्पित नहीं किया गया है।

ऐसी स्थिति में उपलब्ध अभिलेखों, विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये सत्यापन प्रतिवेदन तथा श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये जाने के आलोक में यह निष्कर्ष स्थापित होता है कि श्री कुमार ने असत्य / फर्जी शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के आधार पर संविदा नियोजन प्राप्त किया है, जो नियोजन के मूल शर्त्तों का गंभीर उल्लंघन है।

अतः Deputy Registrar (Exam), Sardar Patel University, Balaghat (M.P.) से प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन तथा बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन (संशोधन) नियमावली, 2022 एवं Term of Assignment के कंडिका–4 (vi) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री रवि शंकर कुमार (Emp. ID- AEN13148), विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, गोपालगंज का संविदा नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

Suharsh 14/07/26
(सुहर्ष भगत)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0 (3) संविदा SSA (फर्जी)– 16 / 2026 (खण्ड–I)..2370...... **पटना, दिनांक :** 15/07/2026

प्रतिलिपि : बन्दोबस्त पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशित किया जाता है कि :–

1. फर्जी प्रमाण–पत्र के आधार पर नियोजित कर्मी से अब तक भुगतान की गई राशि की वसूली हेतु अपेक्षित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
2. फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियोजन प्राप्त करने एवं अन्य संगत आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करें।

Suharsh 14/07/26
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\JYOTI 2026\Amit Sir\Order\16-2026-13-07-2026 copy-4.doc

E-mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

सं0 सं0 : 03/भू0अ0नि0 (3) संविदा SSA (फर्जी)– 16/2026 (खण्ड–I)................... **पटना, दिनांक :**.......................

आदेश

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय का पत्रांक– 12433 दिनांक 12.06.2024 एवं पत्रांक– 12634 दिनांक 29.06.2024 के आलोक में श्री रवि शंकर कुमार (Emp. ID- AEN13148) का नियोजन संविदा आधारित विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर करते हुए बन्दोबस्त कार्यालय, गोपालगंज में पदस्थापित किया गया।

नियोजन के समय श्री कुमार द्वारा समर्पित डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता के सत्यापन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक– 348 दिनांक 02.02.2026 द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय यथा Sardar Patel University, Balaghat (M.P.) को पत्र प्रेषित किया गया था।

उक्त विश्वविद्यालय के Deputy Registrar (Exam), Sardar Patel University, Balaghat (M.P.) ने अपने Ref. No:- SPU/EXAM/FEB/2026/05 दिनांक 20.02.2026 द्वारा ई–मेल के माध्यम से सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया है, जिसमें श्री रवि शंकर कुमार के Verified Status में Not Verified अंकित किया गया है।

एतद् संबंधी सत्यापन सूचना प्राप्त होने के उपरांत निदेशालय पत्रांक– 1852 दिनांक 04.06.2026 द्वारा श्री कुमार को एकपक्ष में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। तथापि, निर्धारित अवधि के उपरांत भी उनके द्वारा कोई स्पष्टीकरण अथवा प्रत्युत्तर समर्पित नहीं किया गया है।

ऐसी स्थिति में उपलब्ध अभिलेखों, विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये सत्यापन प्रतिवेदन तथा श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये जाने के आलोक में यह निष्कर्ष स्थापित होता है कि श्री कुमार ने असत्य/फर्जी शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के आधार पर संविदा नियोजन प्राप्त किया है, जो नियोजन के मूल शर्त्तो का गंभीर उल्लंघन है।

अतः Deputy Registrar (Exam), Sardar Patel University, Balaghat (M.P.) से प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन तथा बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन (संशोधन) नियमावली, 2022 एवं Term of Assignment के कंडिका–4 (vi) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री रवि शंकर कुमार (Emp. ID- AEN13148), विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, गोपालगंज का संविदा नियोजन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

ह0/–
(सुहर्ष भगत)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (3) संविदा SSA (फर्जी)– 16/2026 (खण्ड–I)................... **पटना, दिनांक :**

प्रतिलिपि : बन्दोबस्त पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशित किया जाता है कि :–

1. फर्जी प्रमाण–पत्र के आधार पर नियोजित कर्मी से अब तक भुगतान की गई राशि की वसूली हेतु अपेक्षित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
2. फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियोजन प्राप्त करने एवं अन्य संगत आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करें।

ह0/–
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\JYOTI 2026\Amit Sir\Order\16-2026-13-07-2026 copy-4.doc

15/07/2026

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (3) संविदा SSA (फर्जी)– 16/2026 (खण्ड–I)....2370.... **पटना, दिनांक** :

प्रतिलिपि : श्री रवि शंकर कुमार (Emp. ID- AEN13148), विशेष सर्वेक्षण अमीन, बन्दोबस्त कार्यालय, गोपालगंज (E-mail ID : davidrav198@gmail.com) को सूचनार्थ प्रेषित।

15/7/26

सरकार के उप सचिव
भू–अभिलेख एवं परिमाप।

15/07/2026

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (3) संविदा SSA (फर्जी)– 16/2026 (खण्ड–I)....2370.... **पटना, दिनांक** :

प्रतिलिपि : श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि इसकी स्कैन कॉपी विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं R2R के अन्तर्गत व्यक्तिगत संचिका में संधारित करें।

15/7/26

सरकार के उप सचिव
भू–अभिलेख एवं परिमाप।

D:\JYOTI 2026\Amit Sir\Order\16-2026-13-07-2026 copy-4.doc